

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

1	योजना का नाम	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के दुर्घटना में धायल होने/मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिलवाना।
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1996
4	लाभान्वित वर्ग	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राएँ।
5	पात्रता	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा के दुर्घटना में मृत्यु होन पर 20 हजार रूप्ये एवं दुर्घटना में अन्य शारीरिक क्षति होने पर 500 रूपये से लेकर 20 हजार रूपये तक का भुगतान किया जाता है।
7	आवेदन का तरीका	छात्र छात्रा के दुर्घटना में मृत्यु/अन्य शारीरिक क्षति होने पर दावा संबंधित शाला प्रधान के द्वारा निर्धारित प्रपत्र(संलग्न) में जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को तैयार कर तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करना होता है।
8	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित शाला प्रधान के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	(1) दुर्घटना होने का चिकित्सक का प्रमाण पत्र (2) मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विधालय का शाला प्रधान

आपकी बेटी योजना

1	योजना का नाम	आपकी बेटी योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरिबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की है, तथा जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाता है। कक्षा 1 से 8 में ऐसी पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को 1100 रुपये प्रति वर्ष एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 1500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
3	प्रारंभ होने का वर्ष	2004-05
4	लाभान्वित वर्ग	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की है, तथा जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, को लाभान्वित किया जाता है।
5	पात्रता	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएँ जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की है। जिनके माता-पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो।
6	देय सुविधा	कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत के लिए 1100 रुपये एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत के लिए 1500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालिका
7	आवेदन का तरीका	संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा को आवेदन
8	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित संस्थाप्रधान के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● बीपीएल कार्ड नम्बर ● माता पिता दोनों अथवा एक के निधन का प्रमाण पत्र नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक /माध्यमिक उप सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, 2-2 ए, आर.एस.टी.बी. भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर(मोबा- 9460381389)

अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति। <u>मद- आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना</u>
2	संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none"> ● अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों हेतु। ● अध्ययन करने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को
3	प्रारंभ होने का वर्ष	25.02.94 से लागू
4	लाभान्वित वर्ग	अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों को जो विधालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन कर रहें हो।
5	पात्रता	कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> ● डेस्कॉलर कक्षा 1 से 8 हेतु 110/- रु प्रतिमाह 10 माह हेतु एवम 750/- एकमुश्त। ● हॉस्टलर कक्षा 3 से 8 हेतु 700/- रु प्रतिमाह 10 माह हेतु एवम 1000/-रु एकमुश्त।
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना (संलग्न प्रपत्र)
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान

अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2	संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none">● कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। <u>मद- आयोजना भिन्न व्यय</u>
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1984 संशोधन- 2009
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र
5	पात्रता	कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	बालकों के लिए 15/- रु0 प्रतिमाह एवं बालिकाओं के लिए 75/- रु0 प्रतिमाह 10 माह हेतु
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना (संलग्न प्रपत्र)
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none">● आय प्रमाण पत्र● जाति प्रमाण पत्र● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान

अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2	संक्षिप्त परिचय	कक्षा 6 से 8 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। मद- आयोजना भिन्न व्यय
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1984 संशोधन- 2009
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र
5	पात्रता	कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	बालको के लिए 15/- रु0 प्रतिमाह 10 माह हेतु एवं बालिकाओं के लिए 75/- रु0 प्रतिमाह 10 माह हेतु
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना (संलग्न प्रपत्र)
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान

पूर्व मैट्रिक अन्य पिछडी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछडी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति
2	संक्षिप्त परिचय	राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के अन्य पिछडा वर्ग के छात्र- छात्राओं को 40 रु0 प्रतिमाह की दर से एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृत्ति देय है। <u>मद- आयोजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना</u>
3	प्रारंभ होने का वर्ष	2004-05
4	लाभान्वित वर्ग	अन्य पिछडा वर्ग के कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र- छात्राएँ।
5	पात्रता	छात्र-छात्रा अन्य पिछडा वर्ग का हो तथा राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हो।
6	देय सुविधा	कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्र- छात्राओं को 40 रु0 प्रतिमाह की दर से। एक शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए छात्रवृत्ति देय है।
7	आवेदन का तरीका	सादा आवेदन पत्र में छात्र-छात्रा के अन्य पिछडा वर्ग का होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना।
8	आवेदन कहां किया जावे	छात्र-छात्रा के अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु

1	योजना का नाम	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु <u>मद- आयोजना भिन्न व्यय</u>
2	संक्षिप्त परिचय	घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को
3	प्रारंभ होने का वर्ष	1984
4	लाभान्वित वर्ग	घुमन्तु, विमुक्त एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों
5	पात्रता	कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत होना।
6	देय सुविधा	बालको के लिए 15/- रु0 प्रतिमाह एवं बालिकाओं के लिए 20/- रु0 प्रतिमाह 10 माह हेतु
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> ● आय प्रमाण पत्र ● जाति प्रमाण पत्र ● शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान

बाल गणेश चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

1	योजना का नाम	बाल गणेश चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	शहरी क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी अधिकांशतः आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से संबंधित होते हैं। राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ऐसे विद्यार्थियों को गुणात्मक व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी सहभागिता आधारित मॉडल को लागू किया है।
3	प्रारंभ होने का वर्ष	2008-09
4	लाभान्वित वर्ग	जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी।
5	पात्रता	जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी।
6	देय सुविधा	कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदत्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रकृति व्यापक होगी। योजनान्तर्गत सेवाओं में शामिल विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग आउट-पेसेन्ट, इन पेसेन्ट, स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी की देखभाल, प्राथमिकता से विशेषज्ञों के समुह द्वारा की जावेगी। समस्त रोग/बिमारियों, पूर्व रोगग्रस्त की स्थितियाँ जो विद्यार्थियों का प्रभावित करती हैं, को भी शामिल किया जावेगा। बीमारियों में जन्मजात हृदय रोग, टी.बी., एच.आई.वी. एड्स, पॉइजनिंग एवं सभी प्रकार की सर्जरी को शामिल किया जायेगा।
7	आवेदन का तरीका	—
8	आवेदन कहां किया जावे	—
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	—
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिला कलेक्टर।

वीणा पाणि योजना

1	योजना का नाम	वीणा पाणि योजना
2	संक्षिप्त परिचय	राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: : प.21 (15) शिक्षा-1/प्रा. शि./07 जयपुर दिनांक: 26.09.2008 के द्वारा योजना बन्द हो चुकी है । अतः वेबसाईट हटाया जाना प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1	योजना का नाम	अल्पसंख्यक छात्रों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
2	संक्षिप्त परिचय	<ul style="list-style-type: none"> अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन करने वाले छात्र व छात्राओं हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति।
3	प्रारंभ होने का वर्ष	2008-09 से लागू
4	लाभान्वित वर्ग	अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को जो विधालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययन कर रहे हो।
5	पात्रता	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत होना। परिवार की कुल वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6	देय सुविधा	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा 6 से 8 तक- प्रवेश शुल्क 500/- रु. वार्षिक या वास्तविक जो कम हो। कक्षा 6 से 8 शिक्षण शुल्क 350/- रु. प्रतिमाह या वास्तविक जो कम हो।(10 माह हेतु) कक्षा 1 से 8 तक (गैर छात्रावासी) रखरखाव भत्ता- 100/- रु. प्रतिमाह कक्षा 6 से 8 (छात्रावासी) रखरखाव भत्ता- 600/- रु. प्रतिमाह या वास्तविक जो भी कम हो।
7	आवेदन का तरीका	संस्था में आवेदन करना
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान